

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

NOTIFICATION

Dated: The ~~28~~²⁹ September 2022

No. F.3(15)/Fin.(Exp.-I)/2022-23/DS-I/ 780 -In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 103 of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, being of the opinion that it is expedient in the interest of general public to do so, hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule appended to said Act, namely;

AMENDMENTS

1. In the Fourth Schedule appended to Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the existing Serial No. 2 shall be substituted as under:-

“

2.	Liquor (Foreign and Indian Made Foreign Liquor)	25 paise in the rupee
----	---	-----------------------

”

This notification shall come into force with effect from 1st September, 2022.

Note: Vide Notification No. F10/21/2022-23/SRD/Fin/1920-1929 dated 01.08.2022, the Notification No.F.3(107)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/295 dated 10th November, 2021, has been rescinded. The Second Schedule and serial No.2 of the Fourth Schedule of Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), last amended vide Notification No.F.3(6)/Fin(Rev-I)/2017-18/ds-VI/255 dated 19.05.2017 and F.3(10)/Fin(Rev-I)/2020-21/ds-VI/178 dated 09.06.2020, respectively.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

No. F.3(15)/Fin.(Exp.-I)/2022-23/DS-I/ 780

Dated: The 28th September 2022

Copy forwarded for information to:-

1. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I. P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.



(Ravinder Kumar)
Dy. Secretary I (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय-I) विभाग

दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अधिसूचना

दिनांक: २५ / ०९ / 2022

सं0फा0 03(15)/वित्त (व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/782 - दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल की राय में यह आम जनता के हित में समीचीन है ऐसा करने के लिए एतद्वारा उक्त अधिनियम से जुड़ी चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

1. दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) से जुड़ी चौथी अनुसूची में, मौजूदा क्रम सं0 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

2.	शराब (विदेशी और भारतीय निर्मित विदेशी शराब)	रुपये में 25 पैसे
----	---	-------------------

यह अधिसूचना 01 सितंबर, 2022 से प्रभावी होगी।

नोट :- अधिसूचना संख्या फा0 10/21/2022-23/SRD/वित्त/1920-1929 दिनांक 01.08.2022, अधिसूचना संख्या फा0 03(107)/वित्त(व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/295 दिनांक 10 नवंबर 2021 को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की दूसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 2, में अधिसूचना संख्या फा0 03(06)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/255 दिनांक: 19.05.2017 और अधिसूचना संख्या फा0 03(10)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-VI/178 दिनांक: 09.06.2020, के तहत अंतिम बार संशोधित की गई थीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर


(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव-I (वित्त)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
- 2 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव-I (वित्त)